

move - 11/8/16
West, V.K.

CR-282

8372

डायरी संख्या.....जि०सू०प्र०, पु०सू०, वि०सू०

12.07.17 9/4.10pm

दिनांक.....12/07/17.....

N.K. JHA

Advocate

Delhi High Court

&

SUPREME COURT OF INDIA

Enrl. No. D-4029/2012

Ch. No. D-331A, 2nd
FLOOR, WEST VINOD
NAGAR, I.P. EXTN.,
DELHI-110092

M.No. 9312493122

e-mail: nkjhaadvocate@gmail.com

Ref no.

Dated: 02.07.2017

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आईटीओ,
नई दिल्ली-110002

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत
सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी निम्न सूचनाएं प्राप्त
करना चाहता है:-

1. यह कि दिनांक 11.01.2010 को मौ० रईस उर्फ ननुआ के खिलाफ ~~सूच~~ लिखित ~~अपराधिक~~ शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी? की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि देने की कृपा करें।
2. यह कि दिनांक 11.10.2010 को एक लिखित शिकायत पुलिस उपायुक्त कार्यालय, थाना राजांरी गार्डन, दिल्ली जो कि थाना ख्याला के अन्तर्गत प्रार्थी चांद ने अपने भाई के मृत्यु होने के संबंध में शिकायत की थी. इस ~~प्र~~ क्या कार्यवाही हुई, उसकी प्रतिलिपि देने की कृपा करें।
3. यह कि प्रार्थी का मामला तीस हजारी कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर लोकल पुलिस की मिलीभगत से वर्तमान समय तक प्रार्थी चांद व उनके परिवार वालों के साथ समय-समय पर धमकियां दी जाती हैं व झूठे केस में फंसाकर संबंधित गवाहों को परेशान किया जाता

FIR No. 142

व्यं

है और आये दिन कभी भी किसी भी वक्त प्रार्थी व उसके परिवार व रिश्तेदारों के साथ जान लेवा हमला कर सकते हैं।

4. यह कि दिनांक 15.02.2016 को डायरी नं० 1045-सी विजिलेंस को शिकायत दी गयी जिस पर आज तक न तो कोई लोकल पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी और ना ही अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी जबकि यह मामला प्रार्थी चांद के भाई की मृत्यु ~~सम्बन्ध~~ में ताबड़तोड़ हमला करके की गयी थी। जिस पर संबंधित आई०ओ० द्वारा मृत्यु दण्ड में मामला दर्ज नहीं किया गया। जिसमें लोकल पुलिस की मिलीभगत होने के कारण विजिलेंस द्वारा भी अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, यदि कोई कार्यवाही अभियुक्तों के खिलाफ की गयी है तो उसकी विस्तृत जानकारी व कार्यवाही की रिपोर्ट देने की कृपा करें।

यह कि प्रार्थी बहुत परेशान हो चुका है और सभी संबंधित गवाहों को भी अभियुक्तों ने डरा धमकाकर झूठे कसों में फंसाने की धमकी देकर व फंसाकर व लोभ लालच देकर अपने कब्जे में कर लिया है। प्रार्थी चाहता है कि अभियुक्त मौ० रईस उर्फ ननुआ के खिलाफ कितने अपराधिक मामले किन-किन थानों में किस-किस धाराओं में दर्ज हैं, उसका अपराधिक रिकॉर्ड विवरण सहित देने का कष्ट करें।

व्यं

पोस्टल ऑर्डर सं०

दिनांक

रु० 10/- साथ में संलग्न है, यदि इसके अलावा कोई और फीस बनती है तो प्रार्थी देने के लिये तैयार है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त पैरा नं० 1 से 5 तक की सूचनाएं प्रार्थी को अति शीघ्र देने की कृपा करें।

चांद

प्रार्थी

दिल्ली।

दिनांक: ~~28/07/2016~~

25/4/2017


D-4029/2012